

तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

जसिये रिपोर्ट पटवारी हल्का वसेठ बनाम शेरामिह डुल्लो पिठो एरमी

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA/18/2022निर्णय दिनांक :- 16/3/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन जिठकुम्हार में से 0.01 रकबे पर श्री शेरामिह डुल्लो पिठो एरमी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर शुद्धाधिकृत कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का वसेठ मसारी द्वारा दिनांक 22/12/2021 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक वसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी शेरामिह डुल्लो पिठो एरमी जाति कुम्हार निवासी माठकी को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी शेरामिह डुल्लो पिठो एरमी उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 540 रकबा 0.2500 में से 0.01 रकबे किस्म जिठकुम्हार है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 22paise का 50 गुणा 11/- रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी वसेठ भू0 अ0 निरीक्षक वसेठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शेरामिह डुल्लो पिठो एरमी
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)